

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्र०/जीविवि/परीक्षा-2/गोप०/2025/2205

दिनांक 04.04.2025

// संशोधित-अधिसूचना //

सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि **UG - B.A./B.Sc./B.Com. First Year (NEP) (Session - 2024-25) (Only for Private Students) (at MP-Online Portal)** के रूप में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों के लिये नामांकन रजिस्ट्रेशन कराये जाने हेतु संशोधित तिथियां निम्नानुसार घोषित की जाती हैं:-

नामांकन हेतु कक्षाओं के नाम, दिनांक एवं शुल्क का विवरण			
कक्षाओं के नाम अन्य विवरण		शुल्क विवरण नामांकन	मध्यप्रदेश के बाहर के छात्रों के लिए नामांकन शुल्क
UG - B.A./B.Com./B.Sc. First Year (Session - 2024-25) (Only for Private Students)	नामांकन	1 0 0/-	2 0 0/-
नामांकन करते समय Application No. के माध्यम से Form नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि			
नामांकन विलंब शुल्क रुपये 200/- के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	1 5 . 0 4 . 2 0 2 5		
नामांकन उपरांत समस्त दस्तावेजों को जाँचोपरांत विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	1 6 . 0 4 . 2 0 2 5		

छात्रहित में प्रसारित।

// आवश्यक निर्देश //

- कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30 मई 2024 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में जीवाजी विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त असंस्थागत महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 की समस्त परीक्षाओं में प्रवेशित छात्रों की निर्धारित अधिकृत सीट संख्या के 20 प्रतिशत छात्रों को तथा अनुदानित महाविद्यालयों में अधिकृत सीट संख्या के 50 प्रतिशत छात्रों को ही पंजीकृत किया जावे। महाविद्यालय के द्वारा केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों/विषयों में असंस्थागत परीक्षार्थियों को पंजीकृत किया जाये जिन पाठ्यक्रम एवं विषयों में महाविद्यालय में स्नातक कक्षाएँ पिछले 10 वर्षों से संचालित हो रही हैं। तदनुसार ही परीक्षार्थियों के नामांकन क्रमांक विश्वविद्यालय द्वारा जनरेट किये जायेंगे।
- समस्त अशासकीय (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) नामांकन आवेदन पत्रों को अनुमोदित करेंगे। लेकिन महाविद्यालय के द्वारा संबंधित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकृत सीट संख्या के अशासकीय (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) से अधिक छात्रों का स्वध्यायी परीक्षार्थी के रूप में नामांकन आवेदन अनुमोदित नहीं किया जाये। उपरोक्त समस्त महाविद्यालय (शासकीय महाविद्यालयों को छोड़कर) अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय की नामांकन शाखा में जमा करेंगे तथा विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार नामांकन क्रमांक जनरेट किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय के द्वारा अशासकीय (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) से अधिक नामांकन आवेदन अनुमोदित छात्रों की सूची प्रस्तुत की जाती है तो सूची में प्रथम अशासकीय (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) छात्रों के नामांकन क्रमांक ही जनरेट किये जायेंगे तथा महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- स्नातक असंस्थागत परीक्षार्थी केवल संलग्न सूची के अनुसार शासकीय/अनुदान प्राप्त/अशासकीय महाविद्यालयों से ही परीक्षा आवेदन पत्र भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
- छात्र/छात्रा जिस महाविद्यालय से नामांकन करायेंगे उसी महाविद्यालय से परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु पात्र होंगे।

5. ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनके पास पूर्व में विश्वविद्यालय का नामांकन है ऐसे विद्यार्थियों को नामांकन रजिस्ट्रेशन कराते समय नामांकन क्रमांक का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है तथा जिन विद्यार्थियों के पास पूर्व में नामांकन नहीं है वह समस्त विद्यार्थी नवीन नामांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन करेंगे।
6. समस्त प्रवेशित स्नातक कोर्स के छात्र/छात्राओं को आवश्यक रूप से नामांकन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन माध्यम से भरना है ऐसे समस्त छात्र/छात्राएं जो नामांकन फार्म नहीं भरेंगे वे परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह जावेंगे।
7. उपरोक्त निर्धारित की गई तिथि में किसी भी प्रकार की बढोत्तरी नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि तक ही नामांकन कराना सुनिश्चित करें। यदि नामांकन के आभाव में कोई छात्र परीक्षा आवेदन पत्र भरने से वंचित होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
8. एम0पी0ऑनलाईन के द्वारा अनुदानित एवं अशासकीय महाविद्यालय के लिए केवल उन्हीं विषयों में परीक्षा आवेदन फार्म की लिंक खोली जावे, जिन विषयों में महाविद्यालय में स्नातक कक्षाएँ संचालित हो रही हैं तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि महाविद्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम एवं विषय में अधिकृत पंजीकृत संख्या के अशासकीय (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) से अधिक छात्रों को असंस्थागत छात्र के रूप में पंजीकृत न किया जाये, इस संबंध में आवश्यक चेक लगाया जाये।
9. नामांकन शाखा के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि अशासकीय महाविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रम एवं विषयों में अधिकृत पंजीकृत संख्या के (20 प्रतिशत) एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालय (50 प्रतिशत) से अधिक छात्रों के नामांकन क्रमांक जनरेट न किये जायें।
10. एम0पी0ऑनलाईन के पोर्टल पर नामांकन फार्म भरते समय छात्रों को निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लेकर जावें।

// आवश्यक दस्तावेज //

1. Proof of Date of Birth जन्मतिथि का प्रमाण (हाईस्कूल या हायर सैकेण्ड्री की अंकसूची)
 2. (10+2) Marksheet (हायर सैकेण्ड्री 10+2) की अंकसूची।
 3. Migration Certificate प्रवजन प्रमाण-पत्र। (यदि छात्र ने (हायर सैकेण्ड्री 10+2)/स्नातक स्तर की परीक्षा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
 4. Eligibility certificate अर्हता प्रमाण-पत्र (यदि छात्र ने (हायर सैकेण्ड्री 10+2)/स्नातक स्तर की परीक्षा अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है)
 5. Gap Certificate गैप प्रमाण पत्र (अगर छात्र का पिछली परीक्षा तथा वर्तमान सम्मिलित होने वाली परीक्षा के मध्य में कोई अन्तराल रहा है)
 6. नामांकन आवेदन पत्र जमा करते समय महाविद्यालय सीट संख्या तथा सम्बद्धता का पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें अन्यथा महाविद्यालय के आवेदन पत्र जमा नहीं किए जा सकेंगे।
 7. नामांकन फार्म में गलत जानकारी पाये जाने पर नामांकन जनरेट नहीं किया जावेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।
- संलग्न :- आवेदन अद्योषित करने वाले महाविद्यालयों के नाम की सूची।

कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. कुलगुरु महोदय के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. उप-कुलसचिव/सहायक-कुलसचिव (परीक्षा), जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. नामांकन शाखा, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर की ओर इस आशय के साथ कि वे आवश्यक निर्देश के सरल क्रमांक- 02 एवं 09 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्राचार्य, समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त/निजी महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर।
6. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी आई.टी. सेल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर इस आशय के साथ कि वे आवश्यक निर्देश के सरल क्रमांक-08 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

सहा0 कुलसचिव (परीक्षा)

JIWAJI UNIVERSITY, GWALIOR

स्नातक प्रथम वर्ष (NEP) (सत्र 2024-25) परीक्षा मार्च 2025 की परीक्षा हेतु

असंस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करने वाले महाविद्यालयों की सूची

S.NO.	COLLEGE NAME
1.	GOVT. M.L.B. COLLEGE OF EXCELLENCE, GWALIOR
2.	S.M.S. GOVT. MODEL SCIENCE COLLEGE, GWALIOR
3.	GOVT. V.R.S. GIRLS COLLEGE, MORAR, GWALIOR
4.	GOVT. S.L.P. COLLEGE, MORAR, GWALIOR
5.	DR. BHAGWAT SAHAI GOVT. COLLEGE, GWALIOR
6.	GOVT. COLLEGE, BHITARWAR, GWALIOR
7.	GOVT. COLLEGE, MOHANA, GWALIOR
8.	GOVT. VRINDA SAHAY P.G. COLLEGE, DABRA, GWALIOR
9.	GOVT. K.R.G. AUTONOMOUS GIRLS COLLEGE, GWALIOR
10.	GOVT. COLLEGE, CHINOR, GWALIOR
11.	GOVT. JHALKARIBAI COLLEGE, GWALIOR
12.	GOVT. COLLEGE, PICHORE, GWALIOR
13.	GOVT. M.J.S. COLLEGE, BHIND
14.	GOVT. GIRLS COLLEGE, BHIND
15.	GOVT. SHRI GANDHI COLLEGE, BALAJI-MIHONA (BHIND)
16.	GOVT. COLLEGE, MEHGAON (BHIND)
17.	GOVT. COLLEGE, AALAMPUR (BHIND)
18.	GOVT. COLLEGE, ATER (BHIND)
19.	MAHARSHI ARVIND GOVT. COLLEGE, GOHAD (BHIND)
20.	GOVT. COLLEGE, LAHAR, BHIND
21.	GOVT. COLLEGE, AKODA, BHIND
22.	GOVT. COLLEGE, MAU, BHIND
23.	GOVT. COLLEGE, PHOOP, BHIND
24.	GOVT. COLLEGE, GORMI, BHIND

25.	GOVT. NEHRU COLLEGE, SABALGARH, MORENA
26.	GOVT. P.G. COLLEGE OF EXCELLENCE, MORENA
27.	GOVT. GIRLS COLLEGE, MORENA
28.	GOVT. COLLEGE, JOURA (MORENA)
29.	GOVT. COLLEGE, BANMOR (MORENA)
30.	GOVT. COLLEGE, KAILARAS (MORENA)
31.	GOVT. COLLEGE, PORSIA (MORENA)
32.	GOVT. COLLEGE, DIMNI (MORENA)
33.	GOVT. COLLEGE, RAJODHA (MORENA)
34.	GOVT. COLLEGE, RITHORA (MORENA)
35.	GOVT. V.R.S. COLLEGE, BHANDER, DATIA
36.	GOVT. P.G. COLLEGE, DATIA
37.	GOVT. GIRLS COLLEGE, DATIA
38.	GOVT. GOVIND GRADUATE COLLEGE, SEONDHA, DATIA
39.	GOVT. COLLEGE, INDERGARH, DATIA
40.	GOVT. ADARSH GIRLS COLLEGE, SHEOPUR
41.	GOVT. P.G. COLLEGE, SHEOPURKALAN
42.	GOVT. COLLEGE, VIJAYPUR
43.	GOVT. COLLEGE KARAHAL, SHEOPUR
44.	GOVT. COLLEGE DHODAR, SHEOPUR
45.	MADHAV COLLEGE, GWALIOR {विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जिन पाठ्यक्रम एवं विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गई है महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम एवं विषय में प्रदाय की गई सम्बद्धता की मान्य सीट संख्या के अधिकतम केवल 50 प्रतिशत तक ही नामांकन अग्रेषित कर सकेंगे।}
46.	KUSUMBIAI JAIN COLLEGE, BHIND {विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जिन पाठ्यक्रम एवं विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गई है महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम एवं विषय में प्रदाय की गई सम्बद्धता की मान्य सीट संख्या के अधिकतम केवल 50 प्रतिशत तक ही नामांकन अग्रेषित कर सकेंगे।}
47.	RISHISHWAR COLLEGE, PHOOP, BHIND {विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जिन पाठ्यक्रम एवं विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गई है महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम एवं विषय में प्रदाय की गई सम्बद्धता की मान्य सीट संख्या के अधिकतम केवल 50 प्रतिशत तक ही नामांकन अग्रेषित कर सकेंगे।}
48.	JAIN DEGREE COLLEGE, BHIND {विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को जिन पाठ्यक्रम एवं विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गई है महाविद्यालय उस पाठ्यक्रम एवं विषय में प्रदाय की गई सम्बद्धता की मान्य सीट संख्या के अधिकतम केवल 50 प्रतिशत तक ही नामांकन अग्रेषित कर सकेंगे।}

[illegible]

[illegible]

[illegible]

